न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी

दावान उ०प्र०स० बनाम अजीत सिंह

मुकदमा नं. प्रा० धारा 212 RT Act 6/23

3/11/25	पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित। पक्षकार अनुपस्थित। आदेश पत्र अ०आ०दिया। नियमानुसार 10 दिन नियमानुसार 18/11/25 को पेश हो। सहायक कलक्टर (मु.) सीकर	
18/11/25	पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित। पक्षकारों की अनुपस्थिति दिनांक 19/11/25 को पेश हो। सहायक कलक्टर (मु.) सीकर	
19/11/25	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी ने आदेश पत्र अ०आ०दिया। नियमानुसार 10 दिन का पक्षकार पेश करने के लिए अवसर दिया। पत्रावली वास्ते पक्षकार आदेश पत्र अ०आ०दिया। नियमानुसार 10 दिन नियमानुसार 12/12/25 को पेश हो। सहायक कलक्टर (मु.) सीकर	
27/11/25	पत्रावली प्रार्थी उ०प्र०स० के आवेदन पत्र दिनांक 27/11/25 पर अग्रिम पेशी से पूर्व पेश हुई। प्रार्थी एवं वकील प्रार्थी उपस्थित। प्रार्थी के आर्डर शीट पर हस्ताक्षर कराये गये। नियमानुसार एडवोकेट ईश्वरलाल यादव ने आज आर्डर शीट पर हस्ताक्षर किये। मूल वाद कोर्ट फीस में लंबित किया जा चुका है। इसलिए इस आवेदन पत्र का धारा 212 RT Act के अन्तर्गत चलाने का कोई औचित्य नहीं है। अतः आवेदन पत्र अ०धारा 212 RT Act प्रार्थी कोर्ट फीस में लंबित किया जाता है। पत्रावली के मूल स्वरूप को कार्यवाही की नियमानुसार रखा जावे। निर्णय अद्य दिनांक 27/11/25 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। सहायक कलक्टर (मु.) सीकर	इस प्रकार पक्षकारों मध्य राजीनामा हो गया है अतः कोई कार्यवाही नहीं चलाई जाती। उपखण्ड अधिकारी इगराल (सीकर)

अभिभाषक संघ, सीकर